कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 673 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में **औपबन्धिक** नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

10 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-व्यायाम-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम् शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	सीमा रावत	श्री सोहन सिंह रावत	प्रभात कालोनी काशीपुर उधमसिंहनगर	सामान्य	13.04.1988	उधमसिंह नगर	बी0ए0/बी0पी0एड0	45.00	रा0इ0का0 अमस्यारी, बागेश्वर औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02........

पृ0सं0 / सेवाएं–3क(2) / अराज0 / 7097-7107 / 2025–26 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
06– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकरी।
07– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
08– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
09– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली–भाँति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)– अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक / प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)– अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी / असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा0 न्यायालय में कोई वाद / क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली–2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–शारीरिक शिक्षा) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय–

(1)–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

(2)–राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी0पी0एड0) (अथवा इसके समतुल्य)

(ङ)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल / स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)– अभ्यर्थी की आयु 01–07–2024 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण / सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.............................पद...................विद्यालय...........................एतदद्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु0...........................पद................ ....विषय.................. को दिनांक.......................के पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष.................................
पूरा नाम.................................
पद एवं सील.................................

10– सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति / पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11– कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं..........................पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ....सहायक अध्यापक..........................विद्यालय..........................एतदद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन / विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा / करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा / करूंगी।

हस्ताक्षर..........................
नाम..........................
पदनाम..........................
विद्यालय..........................

प्रतिहस्ताक्षरित..........................
संस्थाध्यक्ष..........................

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 674 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में **औपबन्धिक** नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-व्यायाम-(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम् शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	आरती गौड़	श्री सुन्दर लाल गौड़	एफ-131 बी सैक्टर-11 प्रतापविहार गाजियाबाद उ0प्र0	अ0पि0वर्ग/46596/08.12.23/धनौल्टी	29.08.1998	टिहरी गढ़वाल	बी0एस0सी0/बी0पी0एड0	53.50	रा0क0इ0का0 देवायल सल्ट, अल्मोड़ा औपबन्धिक
2	रिया रावत	श्री विनोद सिंह रावत	78- न्यू कालोनी ऐठाना श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी	समान्य	02.05.2000	रूद्रप्रयाग	बी0ए0/बी0पी0एड0	49.75	रा0क0इ0का0 स्याल्दे, अल्मोड़ा औपबन्धिक
3	बबीता	श्री देवेन्द्र सिंह	ग्राम-झिलीती, पो0-जिलासू चमोली	ई0डब्ल्यू0एस0/00400/15.01.14/जिलासू चमोली	16.03.1998	चमोली	बी0ए0/बी0पी0एड0	48.75	रा0क0इ0का0 बग्वालीपोखर अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02........

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 675 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में **औपबन्धिक** नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती – विषय-व्यायाम-(महिला शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम् शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	सीमा धामी	श्री हरीश सिंह	161- बीरपुर गढ़ीकैन्ट देहरादून	सामान्य	01.01.1986	उधमसिंह नगर	बी0एस0सी0/बी0पी0एड0	47.75	रा0क0इ0का0 लोहाघाट, चम्पावत औपबन्धिक
2	ज्योति उपाध्याय	श्री विद्यानन्द परगाई	वार्ड नं0 14, गुलीजार फार्म, खादरी, खदकमाफ, श्यामपुर ऋषिकेश देहरादून	सामान्य	15.02.1995	नैनीताल	बी0ए0/एम0पी0एड0	47.25	रा0क0इ0का0 भटैलिया, नैनीताल औपबन्धिक
3	योगिता आर्या	श्री विनोद कुमार	नीलेकंड इन्कलेव चाँदीपुर नियर डाबर फैक्टरी उधमसिंहनगर	अनु0 जाति/788/28.06.07/अल्मोड़ा	18.03.1992	अल्मोड़ा	बी0ए0/बी0पी0एड0	40.00	रा0क0उ0मा0वि0 पालीगुणादित्य, अल्मोड़ा औपबन्धिक
4	पूनम आर्या	श्री नन्दन राम	संस्कार पब्लिक स्कूल के बगल में, म0नं0 48 राजेन्द्र नगर रूड़की हरिद्वार	अनु0 जाति/528/26.07.05/कालाढूँगी	04.06.1987	नैनीताल	बी0ए0/बी0पी0एड0	36.00	दुर्गम विद्यालय में पद रिक्त नहीं अ0नि0मा0शि0कु0म0 नैनीताल

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02........

पृ0सं0 / सेवाएं–3क(2) / अराज0 / 7108-29 / 2025–26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।

05– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

06– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।

07– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

08– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

09– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की शैक्षिक / प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली–भाँति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)– अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक / प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)– अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी / असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा0 न्यायालय में कोई वाद / क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली–2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–शारीरिक शिक्षा) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय–

(1)–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

(2)–राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी0पी0एड0) (अथवा इसके समतुल्य)

(ड़)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल / स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)– अभ्यर्थी की आयु 01–07–2024 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण / सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं ______ पद ______ विद्यालय ______ एतदद्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु0 ______ पद ______ विषय ______ को दिनांक ______ के पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष ______

पूरा नाम ______

पद एवं सील ______

10– सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति / पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11– कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं ______ पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ______ सहायक अध्यापक ______ विद्यालय ______ एतदद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन / विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा / करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा / करूंगी।

हस्ताक्षर ______

नाम ______

पदनाम ______

विद्यालय ______

प्रतिहस्ताक्षरित ______

संस्थाध्यक्ष ______

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 676 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-56/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में **औपबन्धिक** नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -व्यायाम-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम् शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	भुवन चन्द्र भट्ट	श्री नारायण दत्त भट्ट	टी0-स्टेट जमुना नगर बेरीनाग पिथौरागढ़	ई0डब्ल्यू0एस/5566/03.04.24/बेरीनाग	12.03.1984	पिथौरागढ़	एम0ए0/बी0पी0एड0	65.25	रा0इ0का0 कपकोट, बागेश्वर औपबन्धिक
2	नीरज जोशी	श्री दयाकृष्ण जोशी	एल0-1, 1377, ए/8 संगम विहार देवली साउथ दिल्ली	सामान्य	28.02.1999	चम्पावत	बी0एस0सी0/बी0पी0एड0	63.75	रा0इ0का0 जुम्मा पिथौरागढ़ औपबन्धिक
3	तुलसी प्रसाद जोशी	श्री गुणानन्द जोशी	ग्राम एव पो0-मछियाड़ चम्पावत	सामान्य	24.12.1985	चम्पावत	एम0ए0/बी0पी0एड0	62.50	रा0इ0का0 सिनलेख पिथौरागढ़ औपबन्धिक
4	सोमिन चन्द	श्री नरेश चन्द	म0नं0 252, प्लाट नं0 80 ग्राम-आमबाग पो0-टनकपुर चम्पावत	अ0पि0वर्ग/16424/08.02.24/पूर्णागिरी	28.10.2000	चम्पावत	बी0एस0सी0/बी0पी0एड0	61.75	रा0इ0का0 मवानी-दवानी पिथौरागढ़ औपबन्धिक
5	संजय सिंह रावत	श्री स्वरूप सिंह रावत	कुजोली, पाण्डेगॉव पिथौरागढ़	सामान्य	12.07.1993	पिथौरागढ़	बी0ए0/बी0पी0एड0	59.50	रा0इ0का0 बघर बागेश्वर औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.......

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 677 /2025–26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली–2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली–2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या–58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक–328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10–02–2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600) नया वेतन मैट्रिक्स–44900–142400, लेबल–7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–10 में अंकित विद्यालय में **औपबन्धिक** नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या–162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक–8400–403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–549/2025, रि0या0सं0–358/2025, रि0या0सं0–692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती –व्यायाम–(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम् शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	गणेश सिंह कपकोटी	श्री लक्ष्मण सिंह	कपकोट बागेश्वर	ई0डब्ल्यू0एस/6044/06.04.24/कपकोट	19.07.1985	बागेश्वर	बी0एस0सी0/बी0पी0एड0	59.25	रा0इ0का0 खैरोली पिथौरागढ़ औपबन्धिक
2	मनीष सिंह बिष्ट	श्री कुन्दन सिंह	तुलसी निवास सम्जू विहार देवलचौड़ बन्दोबस्ती हलद्वानी नैनीताल	सामान्य	07.03.1995	अल्मोड़ा	एम0पी0एड0	58.00	रा0इ0का0 विर्थी, पिथौरागढ़ औपबन्धिक
3	नवनीत सिंह महर	श्री सुन्दर सिंह महर	ग्रम–चैसर पो0–बिण पिथौरागढ़	सामान्य	18.06.1997	पिथौरागढ़	बी0काम0/एम0पी0एड0	58.00	रा0इ0का0 देवतोली बागेश्वर औपबन्धिक
4	नीलेश जोशी	श्री हेमवती नन्दन जोशी	160ए, खड़ी बाजार रानीखेत अल्मोड़ा	सामान्य	26.09.1998	अल्मोड़ा	बी0ए0/बी0पी0एड0	56.50	रा0इ0का0 रातिरकेटी, बागेश्वर दुर्गम
5	रंजीत सिंह	श्री मोहन सिंह	ग्राम–मूलाकोट, तहसील–पाटी, चम्पावत	ई0डब्ल्यू0एस/6350/03.04.24/ पाटी	30.04.1983	चम्पावत	एम0ए0/बी0पी0एड0	56.00	रा0इ0का0 मदकोट, पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02........

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 678 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में **औपबन्धिक** नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -व्यायाम-(सामान्य शाखा)

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम् शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	सूरज मोहन सिंह कठैत	श्री चन्द्रमोहन सिंह कठैत	नवासु खेड़ाखाल रूद्रप्रयाग	सामान्य	27.03.2001	रूद्रप्रयाग	बी0एस0सी0/बी0पी0एड0	55.75	रा0इ0का0 गढ़खेत, बागेश्वर औपबन्धिक
2	राजेन्द्र सिंह महरा	श्री नरपत सिंह महरा	चचरेत, राईआगर बेरीनाग पिथौरागढ़	ई0डब्ल्यू0एस/6057/05.04.24/बेरीनाग	08.06.1985	पिथौरागढ़	बी0ए0/बी0पी0एड0	54.50	रा0इ0का0 सानीउडियार, बागेश्वर औपबन्धिक
3	भाष्कर आर्या	श्री उमेश आर्या	शेरवुड कालेज तल्लीताल नैनीताल	अनु0 जाति/90/16.08.16/नैनीताल	18.04.1995	नैनीताल	बी0ए0/एम0पी0एड0	53.75	रा0उ0मा0वि0 दशौली पिथौरागढ़ औपबन्धिक
4	देवेन्द्र सिंह रावत	श्री शाकम सिंह रावत	सारीखेत, स्याल्दे अल्मोड़ा	अ0पि0वर्ग/07/19.07.22/स्याल्दे	04.06.1986	अल्मोड़ा	बी0एस0सी0/बी0पी0एड0	51.75	रा0इ0का0 धामीगाँव, पिथौरागढ़ औपबन्धिक
5	पूजा डालाकोटी	श्री रमेश चन्द्र डालाकोटी	निकट स्टेडियम बद्रीपुरा पाण्डेनिवास हल्द्वानी नैनीताल	सामान्य	04.06.1997	नैनीताल	बी0एस0सी0/बी0पी0एड0	51.25	रा0इ0का0 चौमूधार, अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.......

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 679 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में **औपबन्धिक** नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-5400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -व्यायाम-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम् शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	दिव्या डौंडियाल	श्री तोता नन्द डौंडियाल	31 गैरसैंण रिखोली चमोली	ई0डब्ल्यू0एस/8222/12.04.24/गैरसैंण	17.07.1999	चमोली	बी0एस0सी0/बी0पी0एड0	51.25	रा0उ0म0वि0 मथुरौपाटली, बागेश्वर औपबन्धिक
2	शालिनी जोशी	श्री गोपी कृष्ण जोशी	रानीधारा अल्मोड़ा	सामान्य	08.11.1986	अल्मोड़ा	बी0ए0/बी0पी0एड0	50.50	रा0इ0का0 भनोली, अल्मोड़ा औपबन्धिक
3	अंजू नेगी	श्री शंकर सिंह	ग्राम-रदुवा, पो0-चौंदनीखाल पोखरी चमोली	सामान्य-दिव्यांग 47/20.09.11/चमोली 75 प्रतिशत	04.02.1980	चमोली	एम0ए0/बी0पी0एड0	50.25	अ0उ0रा0इ0का0 मासी, अल्मोड़ा औपबन्धिक
4	रजत कुमार	श्री प्रदीप कुमार	ग्राम व पो0-लिब्बरहेड़ी रूड़की हरिद्वार	अ0पि0वर्ग/72517/07.09.21/रूड़की	13.12.1997	हरिद्वार	बी0ए0/बी0पी0एड0	50.25	रा0उ0मा0वि0 खौलागॉव पिथौरागढ़ औपबन्धिक
5	साक्षी तिवारी	श्री मोहन चन्द तिवारी	837/स्टेडियम के पीछे तल्ला गोरखपुर बद्रीपुरा हल्द्वानी नैनीताल	सामान्य	07.06.1998	नैनीताल	बी0एस0सी0/बी0पी0एड0	50.00	अ0उ0रा0इ0का0 जालली, अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02........

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 680 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में **औपबन्धिक** नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -व्यायाम-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम् शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	यशवन्त चौहान	श्री लायक राम चौहान	तुचानु, तिकोची उत्तरकाशी	अ0पि0वर्ग/21913/06.02.23/मोरी	16.06.1997	उत्तरकाशी	बी0पी0एड0	49.75	रा0इ0का0 टोटानौला पिथौरागढ़ औपबन्धिक
2	देवराज गिरी	श्री कुँवर गिरी	ग्राम-जाख पो0-जाख पूरन पिथौरागढ़	अ0पि0वर्ग/89708/04.04.24/पिथौरागढ़	01.04.1987	पिथौरागढ़	बी0एस0सी0/बी0पी0एड0	48.75	रा0इ0का0 नामतीचेटाबगड़, बागेश्वर औपबन्धिक
3	मौहम्मद गुलफाम	श्री नूर हसन	नसीरपुर कलां, पो0-शाहपुर शीतलाखेड़ा हरिद्वार	अ0पि0वर्ग/152/085.06.21/हरिद्वार	01.03.1990	हरिद्वार	बी0टैक/बी0पी0एड0	48.75	रा0इ0का0 उच्छैती, पिथौरागढ़ औपबन्धिक
4	राज कुमार सिंह	श्री बचन सिंह	पो0-कुनिगाड़ चमोली	ई0डब्ल्यू0एस0/27706/20.08.23/गैरसैंण दिव्यांग 40 प्रतिशत 634/18.09.23/चमोली	05.01.1982	चमोली	एम0ए0/बी0पी0एड0	48.75	रा0उ0मा0वि0 सोली सल्ट, अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.......

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 681 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में **औपबन्धिक** नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -व्यायाम-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम् शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	नीना कपकोटी	श्री पुष्कर सिंह कपकोटी	कपकोट बागेश्वर	सामान्य	28.02.1990	बागेश्वर	बी0कॉम/बी0पी0एड0	48.50	रा0इ0का0 कर्मी, बागेश्वर औपबन्धिक
2	आकर्षण कुमार	श्री उत्तम कुमार	म0नं0-30 बृज की रसोई के पीछे निकट सेवा अस्पताल लखनऊ उ0प्र0	अनु0 जाति/1933/13.10.14/नैनीताल	30.05.1996	नैनीताल	बी0ए0/बी0पी0एड0	48.00	रा0इ0का0 बाराकूना अल्मोड़ा औपबन्धिक
3	शिखा जोशी	श्री राजेन्द्र प्रसाद जोशी	बालाजी कालोनी हल्दूचौड़ हल्द्वानी नैनीताल	सामान्य	25.09.1996	नैनीताल	बी0एस0सी0/बी0पी0एड0	47.75	रा0इ0का0 आरासल्पड़ अल्मोड़ा औपबन्धिक
4	चन्द्रमोहन सिंह	श्री केशर सिंह	आस्था इन्कलेव लेन0नं0-02 वैभव विहार नवाड़ा देहरादून	सामान्य-भू0सै0/14703826एफ	16.06.1980	देहरादून	बी0ए0/बी0पी0एड0	47.25	रा0इ0का0 खीड़ा अल्मोड़ा औपबन्धिक
5	फिलोमिना पैट्रिक	श्री पैट्रिक	कुमपुर बाजार लालकुर्ती रानीखेत अल्मोड़ा	सामान्य	16.01.1989	अल्मोड़ा	बी0एस0सी0/बी0पी0एड0	47.25	रा0इ0का0 कुलाण्टेश्वर, अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02........

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 682 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में **औपबन्धिक** नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -व्यायाम-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम् शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	जीवन लाल	श्री किशन राम	ग्राम-नरसिंहडांडा पो0-धामीसौन चम्पावत	अन0 जाति/431/18.10.10/चम्पावत	12.07.1977	चम्पावत	एम0ए0/बी0पी0एड0	46.25	रा0इ0का0 पांगला पिथौरागढ़ औपबन्धिक
2	योगेश कुमार टम्टा	श्री परमेश्वरी लाल टम्टा	ईसाईनगर नं0-1 लामाचौड़ हल्द्वानी नैनीताल	अनु0 जाति/21080/11.11.20/हल्द्वानी	06.06.1992	नैनीताल	बी0टैक/बी0पी0एड0	45.50	रा0इ0का0 कोटापन्द्रहपाला पिथौरागढ़ औपबन्धिक
3	इन्द्र कुमार गंगोला	श्री राजेन्द्र कुमार गंगोला	ग्राम व पो0-गणाईगंगोली पिथौरागढ़	अनु0 जाति/1203/20.10.10/गंगोलीहाट	20.12.1984	पिथौरागढ़	बी0ए0/बी0पी0एड0	44.00	रा0इ0का0 डोबाचौहाना, बागेश्वर औपबन्धिक
4	संजय सिंह तोमर	श्री भाव सिंह तोमर	ग्राम-धनपौं, पो0-लखवार देहरादून	अनु0 जनजाति/16120/21.08.178/कालसी	07.05.1988	देहरादून	बी0ए0/बी0पी0एड0	38.00	रा0इ0का0 मालीखेत, अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02........

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 683 /2025-26 दिनांक 12 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में **औपबन्धिक** नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती -व्यायाम-(सामान्य शाखा)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम् शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	भगत सिंह	श्री गोविन्द सिंह	रविग्राम जोशीमठ निकट एम0जी0 स्कूल रविग्राम, जोशीमठ चमोली	अनु0 जनजाति/1830 2/01.01. 21/जोशीमठ	25.06.1989	चमोली	बी0ए0/बी0पी0 एड0	37.50	रा0इ0का0 मैगड़ीस्टेट, बागेश्वर औपबन्धिक
2	रामो रानी	श्री चन्द्रपाल सिंह	खादागुर, देवीपुरा नियर प्रकाश सिटी, काशीपुर उधमसिंहनगर	अनु0 जाति/169/09. 01.14/जसपुर	11.07.1988	उधमसिंह नगर	बी0ए0/बी0पी0 एड0	35.75	रा0इ0का0 ज्वारनेड़ी, अल्मोड़ा औपबन्धिक
3	आरती	श्री जगदीश चन्द्र आर्या	उदयपुरी भीमपुर कमोला नैनीताल	अनु0 जाति/03515/ 21.10. 16/कालाढूंगी	10.07.1991	नैनीताल	बी0ए0/बी0पी0 एड0	35.50	रा0उ0मा0वि0 महरगाँव अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02......

कुम०/सेवाएं–3क(2)/अराज०/ 7130-40 —02— /2025–26 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
01– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02– महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03– निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04– सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
05– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
06– सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
07– सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
08– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
09– सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें–

(क)– अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की भली–भाँति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)– अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)– अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा0 न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)– अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली–2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0–शारीरिक शिक्षा) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय–

(1)–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

(2)–राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी0पी0एड0) (अथवा इसके समतुल्य)

(ङ)– जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थाई निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)– अभ्यर्थी की आयु 01–07–2024 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)– निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.......................................पद.......................विद्यालय.......................................एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.......................................पद.................. ....विषय.................... को दिनांक...........................के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0–संस्थाध्यक्ष.......................................
पूरा नाम.......................................
पद एवं सील.......................................

10– सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम् फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1–कि मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2–प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11– कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.......................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....सहायक अध्यापक.......................विद्यालय.......................................एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर.......................
नाम.......................
पदनाम.......................
विद्यालय.......................

प्रतिहस्ताक्षरित.......................
संस्थाध्यक्ष.......................